न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14 / 202

मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान रेतवाली कोटा नाबालिग जरिये संरक्षक, व्यवस्थापक एवं ट्रस्टी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज श्री मदन मोहन जी कोटा, बृजमोहन शर्मा राजपुरोहित पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी रेतवाली, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामावतार पुत्र मोहन लाल उर्फ भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. ओम प्रकाश पुत्र राजमल उर्फ नारायण प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्र माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 21.08.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इजराय डिक्री प्रदर्श— 1 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज, मदन मोहन जी कोटा नाबालिग जरिये सरंक्षक व्यवस्थापक एवं ट्रस्टीगण को प्रतिवादीगण मदयूनान ने सन् 2006 से 2011 तक 225/— रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से 06 साल का मुनाफा काश्त वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 171 की रकबा 8.00 हैक्टर का 66500/— रूपया मेन प्रोफिट्स डिक्रीदार वादी मूर्ति के सरंक्षक डिक्रीदार को अदा नहीं किया है । अतः इस रकम की वसूली वारंट प्रतिवादीगण मदयूनान के विरूद्ध जारी की जावे ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2014 के द्वारा प्रार्थी मूर्ति मंदिर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इजराय डिक्री प्रदर्श—1 खारिज कर दिया ।

1 :-यह कि आदेश जेर अपील योग्य

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट मूर्ति मंदिर ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मूर्ति मंदिर नाबालिग की ओर से उसके संरक्षक, व्यवस्थापक व ट्रस्टीगण का रेस्पोडेन्ट से जो राजीनमा उक्त आराजी के सम्बन्ध में हुआ था उसके अनुसार रेस्पोडेन्ट मदयूनान को 225/– रूपये प्रतिबीघा की दर से प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त की राशि अदा करते रहना था और लगातार दो वर्ष की चूक मुनाफा राशि अदायगी में होने पर अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट मदयूनान को माननीय न्यायालय की सहायता से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करवाकर भूमि पर वापस कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी था । रेस्पोडेन्ट ने वर्ष 2006 व 2007 का कोई मुनाफा अदा नहीं किया और इस प्रकार उनके द्वारा राजीनामा की शर्तों की अवहेलना की गई और जिसके आधार पर राजीनामा में लिखी गई इबारत अनुसार अपीलान्ट उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कराने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ था और उस राजीनामा में शर्तें अंकित की गई थी उसी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को फैसल करते हुए डिक्री किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया था । इस राजीनामा की इबारत को दोनों पक्षकारान ने स्वीकार किया था । इसके उपरान्त दावा खारिज किया गया । पक्षकारान इस राजीनामे की पालना के लिए बाध्य हैं । जब रेस्पोडेन्ट द्वारा राजीनामे की पालना नहीं की गई तो उनसे राजीनामे की पालना कराने हेतु अपीलान्ट ने इजराय पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से खारिज किया है । राजीनामे की पालना के लिए रेस्पोडेन्ट बाध्य हैं । उनके द्वारा राजीनामे की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में न्यायालय को राजीनामे की पालना करवानी चाहिए थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजीनामे के उपरान्त बेदखली का दावा खारिज किया है जिसकी इजराय चलने योग्य नहीं है और इजराय पर अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 205 का उद्धरण पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र डिक्री की पालना हेतु पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज होने के आधार पर खारिज किया है । इजराय प्रार्थना पत्र पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध धारा 104 सीपीसी के तहत अपील मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत

।:-यह कि आदेश जेर अपील योग्य

उक्त उद्धरण नजीर आरआरडी 1992 पेज 205 यहॉ चस्पा होती है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है ।

9. अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2014 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

10. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा